न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 66/2015/डिक्री

शम्भु पिता एकलिंग जाट
निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
–अपीलान्ट

बनाम

1. लेहरू पिता एकलिंग जाट मुतबन्ना गिरधारी जाट
   निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्ययालय, उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 29.05.2015 प्रकरण सं. 130/2010

उपस्थित – 1. श्री शांतिलाल बसेर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दिनेश दायमा– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 01.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्ययालय मे वाद धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर गांव आजोलियां का खेडा तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 357,359,360 के बारे मे खातेदारी घोषणा एवं बंटवाडे का वाद पेश किया जिस पर प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से जवाब एवं काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का बंटवाडा एकलिंग जी जाट एवं गिरधारी जाट के जीवनकाल मे हो गया तथा तथा लेहरू, गिरधारी जाट के गोद चले जाने से एकलिंग जी के वारिसान की हैसियत से अपीलार्थी एवं अन्य वारिसान का नाम विरासत से दर्ज हुआ अन्य सह खातेदारान ने अपना हक त्याग पत्र अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित करने से अपीलार्थी उक्त आराजीयात का एक मात्र खातेदार होकर काबिज है तथा वादी रेस्पोडेन्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे जो कि प्रतिवादी अपीलार्थी के कब्जे काश्त मे दखलदांजी नही करे उक्त आशय का वाद को बिना किसी साक्ष्य लिये स्वीकार कर प्रतिवादी अपीलार्थी

के काउन्टर क्लेम को साक्ष्य लिये बगैर खारीज कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे निर्णय एवं डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावा तथा काउन्टर क्लेम अनुसार न तो कोई तनकी बनायी एवं नही वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य रिकार्ड पर ली केवल दावे एवं जवाब दावे के तथ्यो के आधार पर बिना किसी सुनवाई के वादी का वाद निर्णित कर डिक्री पारित करने एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम बिना किसी आधार खारीज करने मे कानूनी भूल की है। वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा एकलिंगजी एवं गिरधारी जाट के मध्य उनके जीवनकाल मे हो गया अपीलार्थी लेहरू एकलिंगजी का वारिस है। एकलिंगजी के अन्य वारिसान द्वारा अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित किया तथा समस्त भूमि अपीलार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई एकलिगजी के अन्य वारिसान को पक्षकार नही बनाया तथा केवल अपीलार्थी को एकलिंगजी का वारिस बता वाद पेश किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29/05/2012 को रिमाण्ड करते समय दिये गये आदेश की पालना किये बिना अधीनस्थ न्यायलय द्वारा तनकीवार निर्णय नही किया जाकर उन्ही पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः निर्णय पारित किया गया। इस प्रकरण मे न तो कोई राजीनामा प्रस्तुत तथा न ही किसी के नोटिस किसी को तामील हुए है। इसी प्रकरण को लेकर सिविल कोर्ट मे भी वाद चल रहा है। इस प्रकरण मे दिनांक 25/02/2006 को रिलीजडीड का भी उल्लेख है। उपरोक्त किसी भी तथ्य को देखे बिना निर्णय पारित किया गया है तथा काउन्टर क्लेम भी निर्णित नही किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार पारित नही किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि सेटलमेन्ट के दौरान गिरधारी एवं एकलिंग के बीच बंटवाडा हुआ था ऐसा नियमानुसार नही किया जा सकता। सेटलमेन्ट द्वारा केवल पुरानी प्रविष्टियो को ही रिपीट किया जाता है। इसी को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण मे यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा तनकीयात कायम किये जाकर निर्णय पारित किये जाने के आदेश पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत नही है। फलतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 130/2010 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29/05/2015 अपास्त की जाकर प्रकरण मे उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़